कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–1फ / विशेषज्ञ / पुनर्योजन / 2022–23 / लखनऊ : दिनांक 16-08-2023

नवीन विशेषज्ञ

–:: आदेश ::–

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157 / सेक–2 –पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 18.06.2014, संख्या–965 / सेक–2–पॉच–16–7(255) / 2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या–1858 / सेक–2–पांच–17–7(67) / 2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–2996 / सेक–2–पांच–17–7(67) / 2017, दिनांक 19.07.2017मेंअंकित शर्तों एवंप्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूपमें उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय मेंनियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा।विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर महगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं / आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार / विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जासकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(9) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, यदि कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

(10) सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(11) यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती / पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

(12) पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार 15 दिन मे सेवा में योगदान नहीं करते हैं।तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	QUALIFICATION	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr GYAN PRAKASH SHARMA	9998	12-07-61	31/07/2023	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	Balrampur Hospital Lucknow
2.	DR KIRAN KALA	8971	23/04/1961	30/04/2023	GYNECOLOGIST	District Woman Hospital Prayagraj
3.	Dr ARUN KUMAR SHARMA	9025	27/09/1960	30/09/2022	PATHOLOGIST	Balrampur Hospital Lucknow
4.	Dr ASHWANI KUMAR PACHORI	8041KA	05-07-61	31/07/2023	MEDICINE SPECIALIST	Combined Hospital Shikohabad, Firozabad
5.	DR OMKAR YADAV	9685	30/06/1961	30/06/2023	PAEDIATRICIAN	Balrampur Hospital Lucknow
6.	Dr VIJAY SHANKAR TRIPATHI	9960	01-07-61	30/06/2023	EYE SURGEON	S.S.P.G. Divisional Hospital Varanasi
7.	Dr Amita Yadav	7703	25/10/1959	31/10/2021	GYNECOLOGIST	Lok Bandhu Combined Hospital Lucknow
8.	Dr SATYANARAYAN HARISH CHANDRA	10014	05-12-60	31/12/2022	OPHTHALMOLOGIST	Moti Lal Nehru Divisional Hospital Prayagraj
9.	DR RAGINI RANI GUPTA	6349	04-09-60	30/09/2022	ANESTHETIST	DR. SPM (Civil) Hospital Lucknow
10.	Dr ARCHANA SRIVASTAVA	7639	01-07-61	30/06/2023	GYNECOLOGIST	AHM Hospital Kanpur Nagar
11.	Dr SHUBHRANSHU KUMAR SHUKLA	8248	01-06-61	31/05/2023	PAEDIATRICIAN	Balrampur Hospital Lucknow
12.	Dr RAJENDRA PRASAD SINGH	8089	01-07-61	30/06/2023	PLASTIC SURGERY SPECIALIST	DR. SPM (Civil) Hospital Lucknow
13.	Dr ATUL SARASWAT	11296	06-03-61	31/03/2023	MEDICINE SPECIALIST	District Male Hospital Agra
14.	Dr SANSER PAL SINGH SINDHU	9674	05-07-60	31/07/2022	ENT SPECIALIST	District Combined Hospital Gautam Budhnagar
15.	Dr ARVIND KUMAR SHAKYA	7516	01-07-59	30/06/2021	EYE SURGEON	Balrampur Hospital Lucknow
16.	Dr. RAJEEV BANSWAL	6885 KA	02-07-61	31/07/2023	TB CHEST DISEASE SPECIALIST	Under CMO Lucknow
17.	Dr RAVI CHANDRA KISHORE	8894	22/05/1961	31/05/2023	ANESTHETIST	District Woman Hospital Barabanki
18.	Dr RAM NARAYAN	7433	09-08-60	31/08/2022	TB CHEST DISEASE SPECIALIST	Balrampur Hospital Lucknow
19.	Dr ARLENE HEALY	7673	21/05/1961	31/05/2023	GYNECOLOGIST	Jhalkari Bai Woman Hospital Lucknow
20.	Dr DHANESH KUMAR GARG	8633	10-07-61	31/07/2023	CHEST DISEASE SPECIALIST	District Male Hospital Jhansi
21.	Dr BRIJ MOHAN	11634	15/07/1961	31/07/2023	PAEDIATRICIAN	RLB Combined Hospital Lucknow
22.	DR ALOK PANDEY	7873	21/06/1960	30/06/2022	TB CHEST DISEASE SPECIALIST	100 Bed Combined Hospital Gorakhpur
23.	Dr DINESH KUMAR PREMI	9381	04-01-61	31/01/2023	CHEST DISEASE SPECIALIST	P.L. Sharma Hospital Meerut
24.	Dr RAJKUMAR SACHAN	7104	28/01/1961	31/01/2023	ANESTHETIST	UHM Hospital Kanpurnagar

25.	Dr RAM KUMAR KATIYAR	9749	20/05/1960	31/05/2022	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	UHM Hospital Kanpurnagar
26.	Dr MAJOR DILEEP KUMAR VERMA	9997	30/06/1961	30/06/2023	CHEST DISEASE SPECIALIST	DR. SPM (Civil) Hospital Lucknow
27.	DR GHANSHYAM SINGH	6501	25/12/1959	31/12/2021	SURGEON	Balrampur Hospital Lucknow
28.	Dr MUNSHI LAL	8251	10-07-61	31/07/2023	MD(Anaesthisia)	District Male Hospital Hapur
29.	Dr NARESH VIJ	8828KA	10-11-58	30/11/2020	ANESTHETIST	P.L. Sharma Hospital Meerut
30.	Dr SHUBHASH CHANDRA JAIN	7251	03-04-60	30/04/2022	MEDICINE SPECIALIST	District Hospital Agra
31.	Dr ARUNA KUMARI	7711	15/06/1961	30/06/2023	GYNECOLOGIST	Veerangna Awantibai Hospital Lucknow
32.	Dr ABDUL SALAM	9992	01-10-60	30/09/2022	ANESTHETIST	District Woman Hospital Gaziabad
33.	Dr RAJESH KUAMR AGARWAL	8197	27/07/1961	31/07/2023	SURGEON	UHM Hospital Kanpurnagar
34.	DR DOLLY KAPOOR	9330	08-07-61	31/07/2023	GYNECOLOGIST	District Woman Hospital Saharanpur
35.	DR KUMAR RAJIB RANJAN SINGH	9661	25/12/1958	31/12/2020	PATHOLOGIST	Lal Bahadur Shastri Hospital Varanasi

For Selected Candidate:-

a. It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

b. It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

c. The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक

संख्या–1फ / विशेषज्ञ / पुनर्योजन / 2022–23 / 2236(11) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगतनरायन रोड, उ0प्र0, लखनऊ।
6– सम्बंधित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष / महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
7– सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– चिकित्सा अनुभाग–2 / 3, उत्तर प्रदेश शासन।
10– संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर अपर निदेशक**(प्रशासन) को** प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
11– गार्डफाइल।

अपर निदेशक (प्रशासन)